न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2001/00095
मिसल नम्बर–128/2001

1. रामनारायण आत्मज रोडूजी (मृतक) जर्ये कायममुकामान
   1/1 भूलीबाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति माली (मृतक)
   1/2 गोपाल आत्मज श्री गंगा बिशन जाति माली निवासी कुन्हाडी, कोटा

–वादीगण

बनाम

1. रामचन्दर आत्मज श्री छोटूलाल जाति गुर्जर (मृतक) जर्ये कायममुकामान :–
   1/1 श्रीमती भंवरीबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र
   1/2 रंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/3 बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/4 परमानंद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/5 विनोद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   जाति गुर्जर निवासी हथाई का चौक सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
   1/6 अयोध्या बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
   1/7 संजना बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
   1/8 कलाबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
   :– सत्यनारायण आत्मज स्व0 रामचन्द्र (मृतक) जर्ये कायममुकामान :–
   1/9 मनीष पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/10 दिनेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/11 नंदजी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/12 चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
   1/13 राजेश पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासीगण हथाई का चौक, सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
3. नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–15 बल्लभबाडी, कोटा

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188आर0टी0 एक्ट

उपस्थित–

1 श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक वादी
2 श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, रामरतन मीणा अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 18/11/2021

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के खाते की आराजियात खसरा नं0 105 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 03 कितर की 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खाते की उक्त तीनों आराजियात का नया खसरा नं0 86 कायम कर रकबा 1.66 है0 दर्ज किया है, जबकि वादीगण की आराजी का रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा यानि 1.69 है0 होता है, इस प्रकार प्रतिवादी नं0 02 के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खाते में 0.03 है0 आराजी कम की है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि वादीगण की उक्त आराजी के संटवा ही प्रतिवादी नं0 01 के खाते की आराजी ख0नं0 113 रकबा 06 बिस्वा आराजी स्थित है, सेटलमेन्ट उपरान्त प्रतिवादी नं0 01 ने इस आराजी का नया ख0नं0 85 कायम कर रकबा 0.09 है0 कायम किया है, जबकि गत रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी नं0 01 की आराजी 0.6 बिस्वा यानि 0.05 है ही थी, इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादीगण की 0.03 है0 आराजी कम कर, इस कम की गयी आराजी को प्रतिवादी नं. 01 के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वादी इस आदरणीय न्यायालय की मदद से रेवेन्यु रिकार्ड में संशोधन करवाते हुए ख0नं0 86 रकबा 1.66 है0 के स्थान पर 1.69 है0 दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी अपनी आराजी ख0नं0 84 रकबा 0.41 है0 तथा ख0नं0 85 रकबा 0.9 है0 पर काबिज है, उसके द्वारा कभी भी ख0नं0 86 की भूमि में दखल का प्रयास नही किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी नं0 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 105 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 की 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 107 की 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहसीन हुसैन, साबिर हुसैन, हाथिम अली, सुजाउद्दीन आत्मज अहसास हुसैन जाति बोहरा की खातेदारी की रही है। उक्त मोहसीन हुसैन वगैरह की खातेदारी में उक्त खसरा नम्बर 105 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 की 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 107 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी के अलावा अन्य खसरा नम्बर 108 की 5 बिस्वा कुल 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी तथा खसरा नम्बर 101 की 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी दर्ज रही है। उक्त मोहसीन हुसैन वगैरह द्वारा वादीगण खसरा नम्बर 105, 106, व 107 के साथ–साथ खसरा नम्बर 108 की आराजी तथा खसरा नम्बर 101 की 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी भी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वादीगण को बैचान की गयी है और मोहसीन हसैन वगैरह की उक्त खसरा नम्बर 105, 106, 107, 108 व खसरा नम्बर 101 की भूमि बाद बैचान जरिये इन्तकाल वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। किन्तु वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में केवल खसरा नम्बर 105, 106, 107 की भूमि के ही रकबे का उल्लेख किया है। वादीगण द्वारा चालाकी से व स्वयं को लाभान्वित करने की गरज से खसरा नम्बर 108 व खसरा नम्बर 101 की भूमि का उल्लेख नही किया है, जिसके कारण यह नही कहा जा सकता कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण की आराजी का कोई रकबा कम कर त्रुटिपर्ण रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 की खाते की आराजी में दर्ज किया हो। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में समीपस्थ हाल खसरा नम्बर 87,88, 83, 80, 81, 82 व नहर व नाले की भूमि का कोई भी उत्लेख अपने वाद –पत्र में नही किया है। वास्तविकता यह है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट अगर कोई त्रटि की गयी है, तो वह नहर व नाले के बीच की दूरी के रकबे में व खसरा नम्बर–87,88, 83, 80, 81, 82 के रकबे में तथा वादी स्वयं के गत खसरा नम्बर 101 व 108 में की गयी है और वादीगण का अगर कोई रकबा कम हुआ है, तो वह वास्तविक रूप से उक्त खसरा नम्बर 87,88, 83, 80, 81, 82 व नहर एवम नाले की भूमे में तथा स्वयं के अन्य खसरा नम्बर 101 व 108 में दर्ज किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में वादी का कोई भी कमी रकबा दर्ज नही किया गया है, जिसके कारण वादीगण, प्रतिवादी की खाते की भूमि से कम रकबे की पूर्ति करवाने अथवा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण के कायम मुकामान गोपाल आत्मज गंगाबिशन के खाते में वर्तमान में खसरा नम्बर 86 की केवल मात्र 0.21 है० भूमि में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, शेष भूमि बैचान की जा चुकी है, जिसके कारण वादी को उक्त वाद का कोई भी वाद कारण शेष नहीं रहा है और भूमि का बैचान कर दिये जाने के कारण वादी कमी रकबे की पूर्ति करवाने व इन्द्राज दुरुस्ती करवाने का अधिकारी नही रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी नम्बर –1 के पूर्वज छोटू पुत्र देवा गुर्जर के खाते में कुल तीन किता की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित रही है, जिसमें से 1 बीघा नहर में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जाने के पश्चात 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि शेष रही है। और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 की खातेदारी की आराजी का रकबा किसी प्रकार से अधिक दर्ज नही किया है, जिसके कारण भी वादी, प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते की भूमि एवम बाद खरीद प्रतिवादी नम्बर –3 के खाते की भूमि से कोई भी इन्द्राज दुरूस्ती करवाने अथवा कमी रकबा पूर्ति करवाने का अधिकारी नही है। खसरा नम्बर 30 की रकबा 0.51 है०, खसरा नम्बर 84 की 0.4100 है, खसरा नम्बर 85 की 0.090 है0 कुल तीन किता की 1.100 हैक्टयर वाके ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा को प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा पूर्णतया सदभाविक रूप से उक्त आराजी के पूर्व रेकॉर्डेड खातेदार राचमन्द्र व उसके वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वैधानिक रूप से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी नम्बर–3 की उक्त खसरा नम्बर 84, 85 की आराजी से वादीगण कोई भी कमी रकबा की पूर्ति करवाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी नम्बर 3 अपनी रेकॉर्डेड खातेदारी की उक्त भूमि पर शांतीपूर्वक कब्जे काश्त चला आ रहा है। वादीगण का प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि खसरा नम्बर 84 व 85 पर कोई भी कब्जा काश्त नही है, जिसके कारण कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन मेन्टेनेबल नही है और कब्जे के अभाव में वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 3 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी किया है। प्रतिवादी नम्बर 3 सदभाविक खरीददार है और प्रतिवादी नम्बर 3 को पूर्व में उक्त वाद के विचाराधीन होने की कोई भी जानकारी नही रही है और सद्भाविक खरीददार के विरूद्ध वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया गुणावगुण विहिन, व्यर्थ व केवल मात्र विधि व प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाला होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 3 का उक्त वाद से कोई भी सम्बंध नही है, किन्तु फिर भी प्रतिवादी नं. 3 को खर्चे से जैरबार करने, तंग व परेशान करने के दुराशय से प्रस्तुत वाद में संयोजित किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.08.1992, 19.07.1996 तथा 07.08.2018 को प्रस्तुत हुई जो शामिल पत्रावली है।

बाद जवाब–दावा प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1 आया वादीगण के खाते की आराजियात ख0नं. 105 रकबा 03 बिस्वा 106 की 06 बिघा 15 बिस्वा 107 03 बिघा 12 बिस्वा कुल 03 की 10 बिघा 10 बिस्वा ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित है ।

वादी।

2 आया खसरा नं0 3 में बंदोबस्त बाद कम दर्ज हुआ रकबा 0.04 हैक्0 खसरा नं0 38 से पूरा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य आया वादीगण के खाते की आराजी 1.69 है0 होती है जिसका नया नं0 86 कायम किया है जो 1.66 है0 दर्ज किया है और इस तरह 0.03 है0 आराजी कम दर्ज कर दी है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

3 आया प्रतिवादी क्रमांक 01 के खाते में ख0नं0 113 की पूर्व में 06 बिस्वा आराजी को जिसका नया नं0 85 डालकर रकबा 0.09 है0 कर दिया । इस प्रकार उक्त रकबा 0.04 है0 बडा दिया है। जो वादीगण की आराजी का भाग है।

वादी।

4 आया वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरूद्ध उक्तानुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का अधिकारी है।

वादी

5 आया वादीगण अपनी आराजी पर काबिज है। तथा प्रतिवादी ने 1.69 है0 आराजी पर कोई मदाखलत नही किया है।

वादी

प्रतिवादी कम 1

6 आया वादीगण के कायममुकाम गोपाल आत्मज गंगाबिशन के खाते में ख0न0 86 की केवल मात्र 0.21 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शेष भूमि बेचान की जा चुकी है।

प्रतिवादी कम 3

7 आया प्रतिवादी नं0 03 सदभावी खरीददार है और प्रतिवादी नं0 03 को पूर्व में वाद के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नही है और वह सदभाविक खरीददार है, के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी कम 3

तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त प्रकरण में साक्ष्य वादी ली गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में दस्तोवज नामान्तकरण प्रदर्श पी 1, मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श पी 2, जमाबंदी प्रदर्श पी 3, खाते की नकल प्रदर्श पी3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 5, प्रदर्श कराये गये।

शाक्ष्य वादी के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 के अधिवक्ता द्वारा जिरह वादी की गई।

जिरह वादी के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी नं0 3 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र डी0डब्ल्यू 1 पेश किया गया है।

साक्ष्य प्रतिवादी के पश्चात पत्रावली जिरह प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी नं 3 से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई।

बहस वादी एवं प्रतिवादी नं0 3 अभिभाषक सुनी गई।

उक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में तनकी वार निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं:-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तनकी नं.–1 आया वादीगण के खाते की आराजियात ख0नं. 105 रकबा 03 बिस्वा 106 की 06 बिघा 15 बिस्वा 107 03 बिघा 12 बिस्वा कुल 03 की 10 बिघा 10 बिस्वा ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित है।

वादी।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। इस हेतु वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल व जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। नामान्तकरण प्रदर्श पी 1 और 10 बीघा 10 बिस्वा के जो नए नं0 डाले गये उसके मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श पी 2 है। नयी जमाबंदी प्रदर्श पी 3 है जिसके नए खसरा नं0 86 डाले गये है। वादी द्वारा रामचन्द्र के खाते की नकल पेश की है जो प्रदर्श पी4 है और नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 5 है वादी के अनुसार इसका रकबा 04 बिस्वा बडा हुआ है इस आधार पर वादी कथन है कि वादी का रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा है जो दस्तावेजो से प्रमाणित है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा पुरे खाते पर दावा पेश नही किया गया है। पूर्व खातेदार मोहसिन हुसैन व अन्य के खाते ख0नं0 105,106,107 के साथ ख0नं0 108 की भूमि भी थी जो पूर्णतया वादीगण को विक्रय की गयी । तथा नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 16.02.1985 से उक्त भूमि रामनारायण व भूलीबाई के खाते दर्ज हुयी। प्रार्थीगण के खाते भू प्रबंध के उपरान्त ख0नं0 80,86,87 कुल रकबा 2.17 है0 दर्ज हुआ लेकिन प्रार्थीगण द्वारा वाद केवल ख0नं0 86 को लेकर दर्ज करवाया गया है। हमने पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 16.02. 1985 जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 206 से प्रमाणित है कि मोहसिन हुसैन व अन्य के खाते मे खन0 105,106,107,108, कुल किता 04 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो उक्त नामान्तकरण से रामनारायण व भूली बाई के खाते दर्ज हुयी। स्पष्टतया रामनारायण व भूलीबाई के खाते में ख0नं. 105,106,107,108 कुल किता 04 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी जबकि वाद पत्र में प्रार्थीगण रामनारायण व भूलीबाई ख0नं0 105,106,107 कुल किता 03 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का विवरण लेकर ही उपस्थित हुए है। इस आधार पर यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–2 आया खसरा नं0 3 में बंदोबस्त बाद कम दर्ज हुआ रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 38 से पूरा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य आया वादीगण के खाते की आराजी 1.69 है0 होती है जिसका नया नं0 86 कायम किया है जो 1.66 है0 दर्ज किया है और इस तरह 0.03 है0 आराजी कम दर्ज कर दी है।

वादी।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि वादी के खाते दर्ज भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा है जिसका है0 प्रणाली में माप 1.70 है0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होता है। जिसका नया नं. 86 डाला गया है और रकबा 1.66 है0 दर्ज किया गया है इस तरह यह आराजी लगभग 0.03 है0 व 0.04 है0 करीब कम दर्ज कर दी गई है। वादीगण का यह भी कथन है कि स्वयं न्यायालय में इस प्रकरण में अपने आदेश से तहसीलदार लाडपुरा को कमीश्नर नियुक्त किया था। जिसमे न्यायालय के आदेश की पालना के तहत 19.07.1996 को रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है इससे भी स्पष्ट है कि वादी का रकबा 0.04 है0 कम दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादी का रकबा 0.063 है0 अधिक दर्ज किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि वादीगण के खाते कुल 10 बीघ 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसके है0 प्रणाली में 1.72 है0 बनता है। जबकि भू प्रबंध के उपरान्त वादीगण के खाते ख0न0 80,86,87 की 2.17 है0 आराजी दर्ज की गई है। अर्थात भू प्रबंध द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.45 है0 आराजी अधिक दर्ज की गई है। हमने भू प्रबंध की जमाबन्दी प्रदर्श पी3 का अवलोकन किया प्रार्थीगण के खाते ख0नं0 80,86,87 की कुल 2.17 है0 आराजी दर्ज रिकार्ड थी ख0नं0 80,87 को छोडते हुए केवल ख0न0 86 हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है हमारे विनम्र मत में यह उचित नही है किसी भी खातेदार की सेटलमेन्ट के पूर्व व पश्चात की कुल भूमि के आधार पर ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जबकि वादीगण द्वारा केवल एक खसरे को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श पी 3 इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वादीगण के खाते कुल 2.17 है0 आराजी दर्ज रिकार्ड थी अतः तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 –3 आया प्रतिवादी क्रमांक 01 के खाते में ख0नं0 113 की पूर्व में 06 बिस्वा आराजी की जिसका नया नं0 85 डालकर रकबा 0.09 है0 कर दिया । इस प्रकार उक्त रकबा 0.04 है0 बडा दिया है। जो वादीगण की आराजी का भाग है।

वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी का पूर्व में ख0नं0 113 था जो मात्र 06 बिस्वा था। जिसकी जमाबंदी की नकल प्रदर्श पी 04 है तथा इसके मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श पी 05 है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा स्वयं प्रदर्श डी 3 व डी 4 प्रस्तुत किया गया है। जिसमे ख0न0 85 का रकबा 0.09 है0 दर्ज किया गया है। जिससे प्रमाणित है कि ख0न0 86 का रकबा सटवा भूमि ख0नं0 85 के रकबे में लगभग 0.04 है0 अधिक बढा दिया गया है। यह तथ्य स्वयं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो तथा वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्यों से भी साबित होता है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि भू प्रबंध से पूर्व अप्रार्थीगण के खाते ख0न0 112,113,125 की भूमि दर्ज रिकार्ड थी प्रदर्श पी 5 से प्रमाणित है कि ख0न0 112 के नए नं0 ख0न0 84 व ख0न0 113 के नए नं0 85 बने। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खाते की सम्पूर्ण भूमि को आधार नही बनाया गया है। तथा मात्र एक खसरे के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण का कथन है कि पत्रावली में तहसीलदार लाडपुरा से तीन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

रिपोर्ट प्राप्त की गई है। लेकिन किसी भी रिपोर्ट में यह स्पष्टतया अंकित नही है कि वादीगण का रकबा 0.03 है0 कम कर प्रतिवादीगण के खाते बढाया गया हो। वादीगण द्वारा नहर व रास्ते के रकबों की न तो तुलना की गई है और न ही उनके रकबे में हुयी बेशी को वाद का आधार बनाया गया है। हमने प्रदर्श पी 3 पी 4 पी 5 डी3 व डी4 का अवलोकन किया। यह कथन प्रमाणित होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि को वाद में शामिल ना कर केवल एक खसरे को वाद का आधार बनाया है जो न्यायोचित नही है। यह तनकी नं0 02 में ही प्रमाणित हो चुका है कि वादीगण का कुल रकबा भू प्रबंध द्वारा 2.17 है0 दर्ज कर 0.45 है0 की वृद्वि की गयी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं0– 4 आया वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरूद्व उक्तानुसार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का अधिकारी है।

वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नं0 01 लगायत 03 में यह प्रमाणित है कि भू प्रबंध द्वारा वादीगण के कुल रकबे में कोई कमी नही की गई है। इस कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड में किसी भी अमल दरामद कराने के अधिकारी नही है। तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नही है। इस आधार पर यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–5 आया वादीगण अपनी आराजी पर काबिज है। तथा प्रतिवादी ने 1.69 है0 आराजी पर कोई मदाखलत नही किया है।

प्रतिवादी कम 1

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर है उक्त संदर्भ में अभिभाषक वादी का कथन है कि स्वयं प्रतिवादी ने जो बयान कराये है वह वादी के तथ्यों का सपोर्ट करते है। वादीगण का यह भी कथन है कि वे 1.69 है0 पर विधिवत काबिज है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की भूमि का बेचान कर दिया गया है। और अब उनके खाते में मात्र 0.21 है0 आराजी ही दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा वादीगण के खाते की आराजी 0.21 है0 में किसी भी प्रकार की दखल नही की गई है। प्रतिवादीगण अपने खाते की आराजी पर ही काबिज काश्त है। हमने पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो का आद्योपांत अध्ययन किया वादीगण तथा प्रतिवादीगण वर्तमान में कितनी कितनी भूमि पर काबिज है। तथा क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी में कोई हस्तक्षेप किया गया हो बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नही है। अतः इस तनकी पर कोई भी निश्चयात्मक निर्णय दिया जाना उचित नही है।

तनकी नं0–6 आया वादीगण के कायममुकाम गोपाल आत्मज गंगाबिशन के खाते में ख0न0 86 की केवल मात्र 0.21 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है शेष भूमि बेचान की जा चुकी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी कम 3

इसे साबित करने का भार प्रतिवादी कम 3 पर है। प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि गोपाल के खाते में वर्तमान में 0.21 है0 आराजी ही दर्ज रिकार्ड है। लेकिन इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया अतः तनकी प्रतिवादी नं0 3 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–7 आया प्रतिवादी नं0 03 सदभावी खरीददार है और प्रतिवादी नं0 03 को पूर्व में वाद के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नही है और वह सदभाविक खरीददार है, के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी कम 3

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 03 पर है। प्रतिवादी 03 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकित किया गया है कि उसके द्वारा पूर्णतया सदभाविक रूप से उक्त आराजी के पूर्व रिकाडेड खातेदार रामचन्द्र व उसके वारिसान से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वैधानिक रूप से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । वर्तमान में हस्तगत भूमि पर प्रतिवादी नं0 03 काबिज काश्त है वादीगण का ना तो कोई कब्जा है और ना ही सम्पूर्ण भूमि वादीगण के खाते दर्ज है। प्रतिवादी नं0 03 का यह भी कथन है कि पूर्व में उक्त वाद के विचाराधीन होने की कोई भी जानकारी प्रतिवादी नं0 03 को नही थी। अभिभाषक वादीगण द्वारा अपने बहस में इस बाबत् कोई टिप्पणी नही की गई है अतः तनकी प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में तय की जाती है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके रकबे में कोई कमी की गई हो। तनकी नं0 01, 02, 03, 05 वादी के विरूद्ध तय की गई है तथा तनकी नं. 07 प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में तय की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.....18/11/2[illegible]......... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
★ कोटा ★

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा –0744–2325871

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.रामनारायण आत्मज रोडूजी (मृतक) जर्ये कायममुकामान
1/1 भूलीबाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति माली (मृतक)
1/2 गोपाल आत्मज श्री गंगा बिशन जाति माली निवासी कुन्हाडी, कोटा

–वादीगण

बनाम

1 रामचन्दर आत्मज श्री छोटूलाल जाति गुर्जर (मृतक) जर्ये कायममुकामान :–
1/1 श्रीमती भंवरीबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र
1/2 रंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/3 बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/4 परमानंद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/5 विनोद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
जाति गुर्जर निवासी हथाई का चौक सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
1/6 अयोध्या बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
1/7 संजना बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
1/8 कलाबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा, कोटा
– सत्यनारायण आत्मज स्व0 रामचन्द्र (मृतक) जर्ये कायममुकामान :–
1/9 मनीष पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/10 दिनेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/11 नंदजी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/12 चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
1/13 राजेश पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासीगण हथाई का चौक, सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
3.नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–15 बल्लभबाडी, कोटा

–प्रतिवादीगण

–:: वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

मुकद्मा नं. **128/2001 (दावा)**

इस वाद में आज तारीख को वादी के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । वाद के खर्चे लेखे ... X ....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

उपखण्ड अधिकारी
को[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

यह डिक्री आज तारीख 18 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.........रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा